फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

रामदेव पिता मोडा रेगर नि. मगनपुरा

बनाम

पप्पू पिता हरजी रेगर नि. गोपालपुरा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 84/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
03.03.20	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल खाते की भूमि ग्राम गन्धेर पटवार हल्का गन्धेर तहसील जहाजपुर में आ0 न0 888 रकबा 1.18 बीघा, आ.न. 1323 रकबा 6.07 बीघा कुल किता 2 रकबा 8.05 बीघा एंव ग्राम मगनपुरा प. ह. गन्धेर की आ.न. 13 रकबा 2.04 बीघा, आ.न. 201 रकबा 2.12 बीघा, आ.न. 206 रकबा 2.08 बीघा, आ.न. 207 रकबा 1.18 बीघा, आ.न. 208 रकबा 4.03 बीघा, आ.न. 218 रकबा 2.07 बीघा, आ.न. 1188/210 रकबा 0.02 बीघा, आ.न 1189/210 रकबा 6.04 बीघा कुल किता 8 रकबा 21. 18 बीघा स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा सम्बन्धी ववाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं. पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ग्राम गन्धेर पटवार हल्का गन्धेर तहसील जहाजपुर में आ0 न0 888 रकबा 1.18 बीघा, आ.न. 1323 रकबा 6.07 बीघा कुल किता 2 रकबा 8.05 बीघा एंव ग्राम मगनपुरा प. ह. गन्धेर की आ.न. 13 रकबा 2.04 बीघा, आ.न. 201 रकबा 2.12 बीघा, आ.न. 206 रकबा 2.08 बीघा, आ.न. 207 रकबा 1.18 बीघा, आ.न. 208 रकबा 4.03 बीघा, आ.न. 218 रकबा 2.07 बीघा, आ.न. 1188/210 रकबा 0.02 बीघा, आ.न 1189/210 रकबा 6.04 बीघा कुल किता 8 रकबा 21.18 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पण्डेर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2200 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signed by: Ummed Singh Rajawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/03/2020 18:15:58